



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 25, 2012/माघ 5, 1933

No. 28]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 25, 2012/MAGHA 5, 1933

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2012

सा.का.नि. 46(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अनुसूची की मद 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

11. कोयला :

अ. पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में उत्पादित कोयला।

(1) कोयला पर स्वामिस्व :

स्वामिस्व की दरें, जो स्वामिस्व की विनिर्दिष्ट और मूल्यानुसार दरों का संयोजन होगा, जो निम्नानुसार होंगी :

आर (स्वामिस्व रूपए प्रति टन) = ए + बीपी

जहां "पी" (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहेड मूल्य अभिप्रेत होगा जैसे कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है "ए" (नियत घटक) और "बी" (भिन्न-भिन्न या मूल्य अनुसार घटक) के मूल्य निम्नानुसार होंगे:

समूह 1	कोयले का प्रकार 2	कोयले पर रायल्टी रूपे प्रति टन में 3
समूह - I	इस्पात श्रेणी - I	ए = 180.00 रूपे
	इस्पात श्रेणी - II	बी = 5 प्रतिशत
	वाशरी-I	अर्थात् 180 रूपे + जहां "पी" (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसे कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत।
	सीधी आपूर्ति	
समूह - II	वाशरी-II	ए = 130.00 रूपे
	वाशरी-III	बी = 5 प्रतिशत
	सेमी कोकिंग ग्रेड I	अर्थात् 130 रूपे + जहां "पी" (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसे कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत।
	सेमी कोकिंग ग्रेड II	
	6701 एवं उससे अधिक जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	6401-6700 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
6101-6400 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला		
समूह - III	वाशरी-IV	ए = 90.00 रूपे
	5801-6100 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	बी = 5 प्रतिशत
	5501-5800 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	अर्थात् 90 रूपे + जहां "पी" (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसे कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत।
	5201-5500 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
समूह - IV	4901-5200 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	ए = 70.00 रूपे
	4601-4900 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	बी = 5 प्रतिशत
	4301-4600 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	अर्थात् 70 रूपे + जहां "पी" (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसे कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत।
समूह - V	4001-4300 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	ए = 55.00 रूपे बी = 5 प्रतिशत अर्थात् 55 रूपे + जहां "पी" (मूल्य) से आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिक पिटहैड मूल्य अभिप्रेत होगा, जैसे कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 5 प्रतिशत।

3701-4000 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
3401-3700 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
3101-3400 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-काकेकारी कोयला	
3100 एवं उससे कम जीसीवी वाला गैर- कोककारी	ए = 45 रूपए बी = मूल्य का 5 प्रतिशत अर्थात् 45 रूपए + विद्यमान वास्तविक बीजक मूल्य (कर और अन्य उद्ग्रहण को छोड़कर) का 5 प्रतिशत

(2) लिग्नाइट पर स्वामिस्व :

ए = 45.00 रूपए

बी = 2 प्रतिशत

अर्थात् 45 रूपए + आरओएम (खान से निकला) कोयला और लिग्नाइट का प्राथमिकता पिटहैड मूल्य, जैसा कि करें, उद्ग्रहण तथा अन्य प्रभारों को छोड़कर बीजक में प्रदर्शित किया गया है, का 2 प्रतिशत *

(3) मिडलिग्ंस पर स्वामिस्व :

सकल ऊष्मा मान = < 3100	ए = 45/- रूपए
	बी = मूल्य का 5 प्रतिशत
	अर्थात् 45 + मौजूदा वास्तविक बीजक मूल्य (करों और अन्य उद्ग्रहणों को छोड़कर) का 5 प्रतिशत

स्वामिस्व ऐसे मिडलिग्ंस या अस्वीकार्य पर प्रभारित नहीं होगी जबकि स्वामिस्व के दोहरे प्रभारण से बचने के लिए उसकी घुलाई के पूर्व कच्चे कोयले पर प्रभारित किया गया है।

4. उपकर के उद्ग्रहण के प्रति स्वामिस्व का समायोजन :

पश्चिम बंगाल से भिन्न राज्यों के लिए कोयला धारक भूमि के विनिर्दिष्ट उपकर या अन्य करों के उस उद्ग्रहण को अनुज्ञात स्वामिस्व का स्थानीय उपकरों या ऐसे करों के लिए समायोजन किया जाएगा जिससे कि समस्त राजस्व को फार्मुला आधारित उत्पादन तक सीमित किया जा सके।

ब. पश्चिम बंगाल राज्य में उत्पादित कोयला :

समूह	कोयले का प्रकार	कोयले पर रायल्टी रूपए प्रति टन में
1	2	3
समूह - I	इस्पात श्रेणी - I	केवल सात रूपए प्रति टन
	इस्पात श्रेणी - II	
	वाशरी-I	
	सीधी आपूर्ति	
समूह - II	वाशरी-II	केवल छह रूपए और पचास पैसे प्रति टन
	वाशरी-III	
	सेमी कोकिंग ग्रेड I	
	सेमी कोकिंग ग्रेड II	
	6701 एवं उससे अधिक जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	6401-6700 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
समूह - III	6101-6400 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	केवल पांच रूपए और पचास पैसे प्रति टन
	वाशरी-IV	
	5801-6100 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	5501-5800 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
समूह - IV	5201-5500 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	केवल चार रूपए और तीस पैसे प्रति टन
	4901-5200 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	4601-4900 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
समूह - V	4301-4600 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	केवल दो रूपए और पचास पैसे प्रति टन
	4001-4300 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	3701-4000 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	3401-3700 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	3101-3400 जीसीवी (कि.कैलो./कि.ग्रा.) वाला गैर-कोककारी कोयला	
	3100 एवं उससे कम जीसीवी वाला गैर-कोककारी	

3. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

स्पष्टीकरण :- कोयला के श्रेणीकरण के प्रयोजन के लिए, कोयले की प्रत्येक श्रेणी का विनिर्देश कोलियरी नियन्त्रण नियमावली, 2004 के नियम 3 के अधीन यथा विहित होगा।

[सं. 28019/1/2005-सीए-II]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : द्वितीय अनुसूची का समय-समय पर संशोधन किया गया था और अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 522 असाधारण, तारीख 01 अगस्त, 2007 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF COAL
NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th January, 2012

G.S.R. 46(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957) the Central Government hereby makes the following further amendment in the Second Schedule to the said Act, namely:-

2. In the said Schedule, for item 11 and the entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely :-

11. COAL :

A. Coal produced in all States and Union territories except the State of West Bengal.

(1) Royalty on Coal:

The rates of royalty, which shall be a combination of specific and ad valorem rates of royalty which shall be as follows :

$$R \text{ (Royalty Rupees/tonne)} = a + bP$$

Where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges and the values of 'a' (fixed component) and 'b' (variable or ad-valorem component) would be as follows:

250 GI/12-2

Group 1	Quality of Coal 2	Royalty on coal in Rupees per tonne 3
Group-I	Steel Gr-I	a = Rs. 180.00
	Steel Gr.II	b = 5 per cent
	Washery-I	i.e. Rs.180+5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges
	Direct Feed	
Group-II	Washery-II	a = Rs. 130.00
	Washery-III	
	Semi Coking Gr.I	b = 5 per cent
	Semi Coking Gr.II	i.e. Rs.130+5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6701 & above	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6401-6700	
Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6101-6400		
Group-III	Washery-IV	a = Rs. 90.00
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5801-6100	b = 5 per cent
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5501-5800	i.e. Rs.90+5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5201-5500	
Group-IV	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4901-5200	a = Rs. 70.00
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4601-4900	b = 5 per cent
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4301-4600	i.e. Rs.70+5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges
Group-V	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4001-4300	a = Rs. 55.00
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3701-4000	b = 5 per cent
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3401-3700	i.e. Rs.55+5 per cent where 'P' (price) shall mean basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal and lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3101-3400	
	Non-Coking Coal having GCV = < 3100	a = Rs. 45/-
	b = 5 per cent of price	
		i.e. • Rs.45+5 per cent of existing actual invoice price (excluding taxes and other levies).

(2) **Royalty on Lignite:**

a = Rs. 45.00

b = 2 per cent

i.e. Rs.45+2 per cent of basic pithead price of ROM (run-of-mine) coal/lignite as reflected in the invoice, excluding taxes, levies and other charges.

(3) **Royalty on middlings:**

Gross Calorific Value = < 3100	a = Rs. 45/- b = 5 per cent of price i.e. Rs.45+5 per cent of existing actual invoice price (excluding taxes and other levies).
-----------------------------------	--

The royalty shall not be charged on such middlings or rejects wherein royalty has been charged on raw coal prior to its washing in order to avoid double charging of royalty.

(4) **Adjustment of royalty against levying of cess:**

For States other than West Bengal that levy cess or other taxes specific to coal bearing lands, the royalty allowed shall be adjusted for the local cesses or such taxes so as to limit the overall revenue to the formula based yield.

B. Coal produced in the State of West Bengal

Group 1	Quality of Coal 2	Royalty on coal in Rupees per tonne 3
Group-I	Steel Gr-I	Seven rupees only per tonne
	Steel Gr.II	
	Washery-I	
	Direct Feed	
Group-II	Washery-II	Six rupees and fifty paise only per tonne
	Washery-III	
	Semi Coking Gr.I	
	Semi Coking Gr.II	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6701 & above	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6401-6700	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 6101-6400	

Group-III	Washery-IV	Five rupees and fifty paise only per tonne
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5801-6100	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5501-5800	
Group-IV	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 5201-5500	Four rupees and thirty paise only per tonne
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4901-5200	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4601-4900	
Group-V	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4301-4600	Two rupees and fifty paise only per tonne
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 4001-4300	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3701-4000	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3401-3700	
	Non-Coking Coal having GCV (Kcal/Kg) range of 3101-3400	
	Non-Coking Coal having GCV = < 3100	

3. This notification shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

Explanation :- For the purpose of grading of coal, the specification of the each grade of the coal shall be as prescribed under rule 3 of the Colliery Control Rules 2004.

[F. No. 28019/1/2005-CA-II]

A. K. BHALLA, Jt. Secy.

Note :- The Second Schedule was amended from time to time and last amended vide Notification No.GSR 522 Extraordinary dated 01st August, 2007.